26/11/2024

वकील अपीलार्थी उप/ला० मु० कार्यवाही हेतु आज भी अवसर चाहते हैं। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। दिनांक 11.11.24 तत्पश्चात 19.11.24 को अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 9 के ला० मु० की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः दावा वादी स्वतः ही अवैध हो गया है। अतः दावा वादी अवैध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से बस्ता हो। हक्म मौखा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डअधिकारी
धौलपुर (राज०)